

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सीतापुर।

पत्रांक:- 2529/221

दिनांक:- 14-11-2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,

लखनऊ मण्डल

उ०प्र० लखनऊ।

विषय: वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत सीतापुर-हरदोई मार्ग (राजमार्ग स०-330डी) किमी० 33.200 से 38.800 के मध्य कुल 5.60 किमी० की दूरी में मार्ग चौड़ीकरण से प्रभावित सीतापुर वन प्रभाग की वन भूमि क्षेत्रफल 28.707हे० भूमि पर गैर वानिकी कार्य व बाधक 1549 वृक्षों के पातन तथा हरदोई वन प्रभाग की वन भूमि क्षेत्रफल 8.28हे० भूमि पर गैर वानिकी कार्य व बाधक 1200 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु प्राप्त प्रस्ताव का प्रेषण।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक-2198/14-1 दिनांक 21.10.2022।

महोदया,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सीतापुर वन प्रभाग की प्रभावित संरक्षित वन भूमि क्षेत्रफल 28 707हे० पर गैर वानिकी कार्य व बाधक 1549 वृक्षों के पातन एवं हरदोई वन प्रभाग की वन भूमि क्षेत्रफल 8.28हे० पर गैर वानिकी कार्य व बाधक 1200 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु प्राप्त प्रस्ताव को संलग्नक सहित (04.04 प्रतियों में) आपकी सेवा में पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है। रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय


(बृजमोहन शुक्ला)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग

सीतापुर।

पत्रांक _____/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, हरदोई।
2. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, सीतापुर।
3. उप प्रभागीय वनाधिकारी, बिसवां/सीतापुर।
4. क्षेत्रीय वनाधिकारी, मिश्रिख एवं सीतापुर।


(बृजमोहन शुक्ला)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग

सीतापुर।